

५/६/५

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज०
‘कर-भवन’ अजमेर

website

क्रमांक: एफ-७(६५२)विधि/विविध/१४/

दिनांक:

आदेश

विधि विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर एवं जयपुर बैच में विभाग की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त उप राजकीय अभिभाषकों को वृत्तवार पैरवी कार्य आवंटन के संबंध में पूर्व समसर्ख्यक आदेश क्रमांक ५६१ दिनांक ६.६.१४ को अतिथित कर नवीन आदेश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं-

क्र. सं.	उप राजकीय अभिभाषक का नाम व पता	कार्यक्षेत्र	लिंक उप राजकीय अभिभाषक जिनके द्वारा पैरवी की जावेगी
१	श्री जग्नील जई, बी-१९६, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर। मोबाइल नं. ९८५४१०६५४	कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर व उदयपुर क्षेत्र से संबंधित प्रकरण एवं कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर I, II & III के क्षेत्राधिकार से संबंधित कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ में सूचीबद्ध प्रकरण	श्री अनिल पोकरणा
२	श्री अगिल पोकरणा, १३/३२१, नवा बाजार, अजमेर। मोबाइल नं. ९४१४२५४७५६	कलक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ़ व बीकानेर के क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों एवं जयपुर I के क्षेत्राधिकार से संबंधित कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ अजमेर में सूचीबद्ध प्रकरण	श्री आर.के अजमेरा
३	श्री आर.के. अजमेरा, हरि सदन एस.बी.आई. कॉलोनी के पास गोखले मार्ग अजमेर। मोबाइल नं. ९८२८०५४४५०	कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर व कोटा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण	श्री डी.पी.ओझा
४	श्री डी.पी.ओझा, ५५१/०९, राजेन्द्रपुरा, हाथी भाठा, अजमेर। ९४१४३७९६२६३	कलक्टर (मुद्रांक), भीलवाड़ा व पाली के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण	श्री जग्नील जई
५	श्री रामकरण सिंह, ९००, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर-१५ मोबाइल नं. ९४१४४४०१२५	राजस्व जिला जयपुर के उप पंजीयक, संख्या i, ii, iii, v, ix, x एवं सांगलनेर i, ii बगरू, मूण्डोता, जालसू, रामपुरा, ढाबड़ी, विशाटनगर, बस्सी, चाकसू, चौमू, दृष्टि, मोजमाबाद, जमवारामगढ़, किशनगढ़, रेनवाल, कोटथावादा, कोटपूतली, फागी, सांभर, राजस्व जिला दौसा के समस्त उप पंजीयक कलक्टर मुद्रांक, अलवर व भरतपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त प्रकरण जो कर बोर्ड की जयपुर बैच में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होंगे।	श्री एन.के वेद
६	श्री एन.के वेद, रांका चैम्बर, सी-१२ए, सूर्यपथ न्यू कॉलोनी ५ बल्ली के पास, उम.आई. रोड, जयपुर। मोबाइल नं. ९८२९४३६१६२	राजस्व जिला सीकर/झौलू के समस्त उप पंजीयक एवं राजस्व जिला जयपुर के उप पंजीयक संख्या iv, vi, vii, viii, आमेर एवं उप पंजीयक शाहपुरा, माथोराजपुरा, आंधी, तुंगा, अमरसर, गोविन्दगढ़, मगोहरपुर, पावटा से संबंधित क्षेत्र। इसके अतिरिक्त जयपुर बैच में क्रम संख्या ५ के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के विचाराधीन प्रकरण।	श्री रामकरण सिंह

किसी भी उप राजकीय अभिभाषक की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके समक्ष अंकित लिंक उप राजकीय अभिभाषक द्वारा पैरवी की जावेगी।

उपर्युक्त आदेश के होते हुवे भी किसी विशेष प्रकृति एवं महत्वपूर्ण प्रकरण को मुख्यालय द्वारा किसी भी उप राजकीय अभिभाषक को आवंटित किया जा सकेगा जो उस प्रकरण में पैरवी करेंगे।

यह आदेश १ जुलाई, २०१५ से लागू होंगे।

भवदीय,

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
2. अतिरिक्त कलकटर (मुद्रांक), जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलकटर (मुद्रांक), राजस्थान।
4. प्रभारी, रिविजन शाखा मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ एवं जयपुर बैंच में लगने वाले प्रकरणों से संबंधित पत्रावली/रिकॉर्ड संबंधित उप राजकीय अभिभाषक को नियत सुनवाई तिथि से ३ दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त उप राजकीय अभिभाषक, श्री अग्निशंख गोक्खांजन्मर नगर, अजमेर।
6. संबंधित कर्मचारी, रिविजन शाखा, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप्र निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया 'जाना सुनिश्चित करें।

[Signature]
उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर